न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः पुराना— 186/2019 एवं 60/2021 निर्णय दिनांकः— 15.03.2022
मुकदमा नम्बरः नया— 202/2021
आर0सी0एम0एस0 :—2019/00454

1. रामस्वरूप पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1. जगुराम पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
2. गोरधन पुत्र डुगाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
3. रामकुवार पुत्र डुगाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
4. श्यानादेवी पुत्री डुगाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
5. मोहनी देवी पत्नी जगुराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
6. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक :—15.03.2022

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 264, 265, 268, 272, 267 रकबा 0.060, 0.90, 0.72, 1.51, 0.67 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.86 है0 भूमि अवस्थित है जिनमें से खसरा नम्बर 264, 265, 268 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हैं, जिसमें प्रार्थी फसल करके प्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 264, 265, 268 में आने जाने के लिये एक कदमी रास्ता बना हुआ हैं जो राजस्व रिकार्ड दर्ज नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 272 के बीच से एक डामर सड़क निकलती है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 272 से ही डामर सड़क से एक रास्ता आता है जिससे ही प्रार्थी स्वयं आता है व फसल आदि की बुआई के लिये ट्रेक्टर आदि लेकर आता हैं। प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र में दर्शित ए से बी बिन्दु रास्ते का उपयोग उपभोग भूमि खसरा नम्बर 264, 265, 268 में आने जाने के लिये करते हैं। प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र में दर्शित निशानात ए से बी रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 264, 265, 268 में आने जाने का और कोई वैक[illegible] रास्ता [illegible] है व अप्रार्थीगण जब मर्जी आती है तब ही रास्ते को बंद कर देते हैं। प्रार्थना पत्र के स[illegible] मानचित्र में दर्शित ए से बी रास्ता 4 मीटर रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक [illegible] सदा रास्ता [illegible] जाना उचित एवं [illegible]त हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 264, 265, 268, 272, 267 में से प्रार्थी आता जाता है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की दया पर निर्भर हैं। उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण दिनांक 25.07.2019 को व्यवधान उत्पन्न कर दिया था जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त रास्ते में व्यवधान नहीं डालने तथा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया। इस कारण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा संख्या 264, 265, 268, 272, 267 रकबा 0.060, 0.90, 0.72, 1.51, 0.67 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.86 है0 में से प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र में दर्शित निशानात ए, बी बिन्दु तक 4 मीटर चौड़ार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार प्रतिफल अदा करने को तैयार हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्राथमिक आपति में अंकित किया हैं कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में जो डामर सड़क बतलाई गई है, वह भूमि खसरा नम्बर 271 से होकर गुजरती है, जवाब प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी रास्ता सबसे सुलभ व लघुतम रास्ता है, जिसमें किसी तरह का कोई घुमाव नहीं आता हैं। अतः खसरा नम्बर 271 के खातेदार प्रकरण में प्रभावित व आवश्यक पक्षकार है, उन्हे पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। जवाब प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में अंकित निशानात ए से बी रास्ता सबसे सुलभ व लघुतम रास्ता है, ए से बी रास्ता 10 फीट चौड़ा रास्ता होने से खसरा नम्बर 265, 268, 264 में आवागमन सुगम रूप से होगा, इसलिए खसरा नम्बर 271 की पश्चिमी सीमा पर सड़क सीमा से उत्तर की ओर रास्ता दिया जाना सुविधाजनक है, जो खसरा नम्बर 271 में 88 x 4 अर्थात 352 वर्ग मीटर भूमि की ही रास्ते में आवश्यकता होगी, खसरा नम्बर 268 शामलाती खातेदारी की भूमि होने के कारण उसका विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी जग्गुराम के बीच होने पर रास्ता स्वतः ही कटानी रास्ता हो जायेगा तथा खसरा नम्बर 267 व 272 में अलग कटानी रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 271 के बीच से होता हुआ उत्तर की ओर भूमि खसरा नम्बर 255 व 256 की पश्चिमी सीमा से भूमि खसरा नम्बर 265 तक है। इस तरह से उपरोक्त खसरा नम्बरान में आवागमन के लिये मौके पर रास्ता है, खसरा नम्बर 853 सहखातेदारी की भूमि तक रास्ता उपलब्ध होने के कारण खसरा नम्बर 865 तक रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 265 के लिये रास्ता क्लेम किया जा रहा है, उस स्थल के पूर्व दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 256, 255 व 271 स्थित है, भूमि खसरा नम्बर 265 तक मौके पर करीबन 50 सालों से प्रचलित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 271, 255 व 256 में अवस्थित है, इस तरह से भूमि खसरा नम्बर 265 में आवागमन के लिये उत्तरदाता की भूमि से मात्र 50 [illegible] की दूरी पर वैकल्पिक रास्ता है इस तरह से सुविधाजनक व कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर [illegible] मिलता है तथा उक्त रास्ते में कोई व्यवधान भी नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 271, 256 व 265 सहखातेदारान से मिलकर आपस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

में साज करके सम्पूर्ण स्थिति को छुपाकर गलत रूप से प्रकरण के प्रार्थीगण ने उत्तरदाता की भूमि से रास्ता क्लेम किया है, जबकि उपरोक्त खसरा नम्बरान से रास्ता उपलब्ध है। भूमि खसरा नम्बर 264, 265 व 268 में विभाजन के बाद भी निश्चित हिस्सा प्रकरण के प्रार्थी का तय हो सकता है, उससे पूर्व रास्ते का क्लेम करना गलत होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। रास्ते के विवाद को लेकर पूर्व में माननीय न्यायालय में प्रकरण चला था जो निरस्त हो चुका है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदक किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र वेग है, निश्चित रूप से निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थीण नं0 2 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पेश नहीं करने के कारण इनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं दिनांक 07.04.2021 को हमराह भू0अ0 निरीक्षक हल्का रघुनाथपुरा एवं पटवारी हल्का धमोरा के साथ मौका देखकर मौका जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी वकील ने ऐतराज कमीश्नर रिपोर्ट पेश किया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं है तथा वह न तो मौके पर गया तथा ना ही उसने कोई रिपोर्ट ही तैयार की तथा किसी भी पक्ष की उपस्थिति बाबत व मौके पर जाने बाबत कोई नोटिस नहीं देकर बाला बाला रूप से मौके की स्थिति से विपरीत रिपोर्ट अपने मातहत पटवारी हल्का से तैयार करवा के माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। प्रकरण के प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर के लिये वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है, जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा जवाब मूल प्रार्थना पत्र में विस्तृत विवरण अंकित है जिससे सुविधाजनक रूप से आवागमन किया जा सकता है, जिस स्थल पर रास्ता मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से ऐतराज कर्ता की भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है, जससे काश्त करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना होगा, जबकि मौके पर वैकल्पिक रास्ते आज भी मौके पर चालू है, जिस बाबत मौका रिपोर्ट में कुछ भी अंकित नहीं है, ना ही मौका रिपोर्ट में जवाब में वैकल्पिक रास्ते की जो स्थिति बतलाई गई है, उक्त बाबत मौका देखने और मौके पर क्या स्थिति है, का कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं है, ना ही उसका खण्डन किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट प्रकरण के आवेदकगण से मिलकर मौके की सही स्थिति को छुपाकर तैयार करके पेश की गई है तथा गलत रूप से मौका रिपोर्ट में प्रकरण के आवेदकगण के पक्ष में साक्ष्य संकलित की गई हैं। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय प्रस्तुत प्रकरण के उत्तरदातागण व उनके अधिवक्ता को न तो बुलवाया ना ही उनकी उपस्थिति में मौके पर गये तथा सम्पूर्ण मौके की वास्तविक स्थिति को नजर अन्दाज किया गया है। प्रकरण के आवेदकगण ने साजिस से मौके की रिपोर्ट तैयार करवाई है जो यह साबित करती है उसने कमिश्नर से मिलकर किस हद तक रिपोर्ट पेश की है। इसके बाद माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने भी विधिक प्रावधानों से विपरीत रिपोर्ट पेश की है। जो भी असहनीय है। अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कमिश्नर रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जावें तथा दुबारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी से दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपर वर्णित ऐतराजों पर मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर मंगवाई जानी प्रार्थनीय हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस ऐतराज कमिश्नर रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र ही बहस हैं। मौका रिपोर्ट सही बनाई गई है, इसमें भी कोई वैकल्पिक रास्ता अंकित नहीं हैं अतः अप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऐतराज कमिश्नर रिपोर्ट खारीज फरमाया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा संख्या 264, 265, 268, 272, 267 रकबा 0.060, 0.90, 0.72, 1.51, 0.67 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.86 है0 में से प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र में दर्शित निशानात ए, बी बिन्दु तक 4 मीटर चौड़ार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार प्रतिफल अदा करने को तैयार हैं।

बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 272 के बीच से एक डामर सड़क निकलती है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 272 से ही डामर सड़क से एक रास्ता आता है जिससे ही प्रार्थी स्वयं आता है। जवाब प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी रास्ता सबसे सुलभ व लघुतम रास्ता है, जिसमें किसी तरह का कोई घुमाव नहीं आता हैं। खसरा नम्बर 265 के लिये रास्ता क्लेम किया जा रहा है, उस स्थल के पूर्व दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 256, 255 व 271 स्थित है, भूमि खसरा नम्बर 265 तक मौके पर करीबन 50 सालों से प्रचलित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 271, 255 व 256 में अवस्थित है, इस तरह से भूमि खसरा नम्बर 265 में आवागमन के लिये उत्तरदाता की भूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वैकल्पिक रास्ता है इस तरह से सुविधाजनक व कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 265 के लिये है तथा उक्त रास्ते में कोई व्यवधान भी नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 271, 256 व 265 के सहखातेदारान से मिलकर आपस में साज करके सम्पूर्ण स्थिति को छुपाकर गलत रूप से प्रकरण के प्रार्थीगण ने उत्तरदाता की भूमि से रास्ता क्लेम किया है, जबकि उपरोक्त खसरा नम्बरान से रास्ता उपलब्ध है। मौका जांच रिपोर्ट में भी अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को शामिल करते हुऐ वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट नहीं बनाई हैं। अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज कमिश्नर रिपोर्ट का स्वीकार कर पुनः मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा प्रार्थी ने खसरा नम्बर 268 से रास्ता चाहा हैं जो प्रार्थी व अप्रार्थी की सह खातेदारी की भूमि हैं जिसका विभाजन का वाद चल रहा हैं। एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के तहत रास्ता नहीं ले सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र, मौका जांच रिर्पोट दिनांक 07.04.2021 एवं प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका कमिश्नर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धमोरा के भूमि खसरा 264, 265, 268, 272, 267 रकबा 0.060, 0.90, 0.72, 1.51, [illegible] कुल किता 5 का कुल रकबा 3.86 है0 में से प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र में [illegible] निशानात [illegible] बी बिन्दु तक 4 मीटर चौड़ार रास्ता चाहा हैं। उक्त प्रकरण में मौका जांच [illegible] प्रार्थी वकील ने ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रकट किया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र, मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2021 एवं प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नं0 272, 267, 268 में से होता हुआ जाता हैं। खसरा नं0 268 की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 इसमें सहखातेदार हैं। प्रार्थी अपनी सह खातेदारी की भूमि खसरा नं0 268 में से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत रास्ता नहीं ले सकता हैं। उक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधान अनुसार कोई भी सह खातेदार अपनी सह खातेदारी भूमि में से रास्ता लेने का अधिकारी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में एवं तथ्यों के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऐतराज मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested